परिपत्र संख्या–डीजी– 33/2020

एच0सी0 अवस्थी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

दिनांकःअक्टूबर 09 ,2020

प्रिय महोदय,

आप भली–भॉति अवगत हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है। स्वच्छ पर्यावरण जीवन का मुख्य आधार है। वायु प्रदूषण की समस्या अनेक गम्भीर बीमारियों का कारण बन रही है। पराली जलाये जाने व आबादी क्षेत्र में कचरे आदि के ढ़ेर जिसमें प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रदार्थो की मात्रा अत्यधिक होती हैं, के जलाये जाने के अनेक गम्भीर मामले प्रकाश में आते है, इससे उठने वाले धुऍं से वायु मण्डलीय पर्यावरण गम्भीर रूप से प्रभावित होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव एवं जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कोविड–19 के दृष्टिगत पर्यावरण अत्याधिक प्रदूषित होने पर बीमारी फैलने की आंशका से इंकार नही किया जा सकता है।

2– स्वच्छ पर्यावरण को बनाये रखने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासकीय आदेश संख्याः1026/12–2–2017 दिनांक 31.03.2017 एवं पत्र संख्याः NGT-567/81–7–2019–9(रिट)2016 दिनांक 04.11.2019 तथा इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 45/2017 दिनांक 29.12.2017 एवं परिपत्र संख्याः52/2019 दिनांक 06.12.2019 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण अनुभाग के गजट संख्या–2845/55–पर्या0–15–99(पर्या0)–13 दिनांक 28.10.2015 के द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गयी हैः–

" चूँकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है कि फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए भूसा के जलाये जाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतएव, अब, वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या–14, सन् 1981) की धारा 19 की उप धारा–(5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल एतत द्वारा इस सूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त बचे हुए भूसे को जलाया जाना प्रतिषिद्ध करते है। "

4– वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस मुख्यालय से निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें। उक्त सम्बंध में निम्नाकिंत निर्देश निर्गत किये जाते हैंः–

1. कृषि अपशिष्ट (पराली) को जलाये जाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोके जाने हेतु हर सम्भव कड़े कदम उठाये जाये।

Scanned by CamScanner

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल)संख्या–13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 04.11.019 के क्रम में शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक04.11.2019 में **"कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोका जाये तथा इस हेतु जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, थानाध्यक्ष, जिला कृषि अधिकारी, लेखपाल तथा ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के स्तर से हर संभव कदम उठाये जायें। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की घटनाओं के पाये जाने पर प्रत्येक स्तर का मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत ओदश के उल्लंघन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की अब तक हुयी घटनाओं एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की इन्वेन्ट्री भी तैयार की जाये"।**

3. आबादी क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने–अनजाने कूड़े कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है, से जनमानस को जागरूक किया जाये तथा कूड़ा जलाये जाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। उल्लंघन की दशा में नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0)द्वारा दिल्ली और आस–पास के इलाकों में फसल या अन्य उपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।

4. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए जिलों में बाइण्डर या बिना बाइण्डर के स्ट्रा रीपर के साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रयोग फसलों की कटाई हेतु किया जाना गम्भीरता से सुनिश्चित कराया जाये।

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बंध में टेलीविजन मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि के माध्यमों से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाये।

5– अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विधि अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

आदेश

भवदीय,

9/x/20

(एच0सी0 अवस्थी)

समस्त पुलिस आयुक्त, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,(नाम से)
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner